मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 16, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा

(ख) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 111 की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2011-तेरह, दिनांक 05 अगस्त, 2016 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री सूर्य प्रकाश मीना, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश चावला, सदस्य, मध्यप्रदेश पश्चिम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि हेतु सहयोग योजना के नाम पर कृषकों से वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के विकास खण्ड गंजबासौदा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत अनेक विद्यालयों में पहुंच मार्ग न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 67-रामपुर बघेलान से निर्वाचित सदस्य, श्री हर्ष सिंह को विधान सभा के दिसम्बर, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का अभ्यावेदनों से संबंधित षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) सुश्री ऊषा ठाकुर, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

6. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

-2-

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के पनागर से मटियाकुई, डुंगरिया, सिंगौद, लीटी तक पहुँच मार्ग बनाये जाने,
(2) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के एम.पी. मार्ग तिराहे से काकागंज सूबेदार तिराहा तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण किये जाने,
(3) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, सतना जिले में रामनगर तहसील के ग्राम पोस्ट छिरहाई में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(4) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर-मालवा जिले के सुसनेर में पिछड़ा वर्ग के पृथक-पृथक बालक एवं कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जाने,
(5) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के शाहनगर तहसील मुख्यालय में सिविल कोर्ट स्थापित करने,
(6) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम छिरावल, हिम्मतपुरा, कुंवरपुरा एवं इकारा को पक्के मार्ग से जोड़ने,
(7) श्री आशीष शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पानीगांव में कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल प्रारंभ किये जाने,
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के अमिलिहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उपस्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,
(9) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के कटंगी से आवास टोला (भानपुरा) में सड़क निर्माण कराये जाने,
(10) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के शासकीय श्यामसुन्दर नारायण मुशरान महिला महाविद्यालय में बायो, वाणिज्य संकाय एम.एस.डब्ल्यू. विषय की कक्षा प्रारंभ कराये जाने,
(11) श्री जितेन्द्र थावरचंद गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम लसूड़िया तालाब की पाल की ऊँचाई व मजबूत किये जाने,
(12) श्री चेतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बोपलवाड़ी एवं उमरिया के बीच खरपड़ा नदी पर रपटा निर्माण करने,
(13) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बोरवानी में हाई स्कूल की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
(14) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा में उपकोषालय खोले जाने,
(15) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम मोहबर्रा से कंजई तक बायपास रोड का डामरीकरण कराये जाने,
(16) श्री घनश्याम पिरौनिया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम उनाव बालाजी मंदिर (धाम) में पहूज नदी पर सुरक्षा व्यवस्था करने,
(17) श्री नारायण सिंह पवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में कार्डियो एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने,
(18) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम पिपरा के मध्य नाला पर पुल निर्माण किये जाने,
(19) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम प्रीतमपुर में पुलिया मरम्मत कराये जाने,
(20) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रायपुरा से दलारना खुर्द तक डामरीकरण कराये जाने,
(21) श्री गिरिश भंडारी, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम जसपुरा में स्टापडेम निर्माण किये जाने,
(22) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल हटा, नवीन हाई स्कूल काईखेड़ा का भवन निर्माण कराये जाने,
(23) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम घोरलाखेड़ी गोरयाखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(24) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम चितरांव बस्ती में सी.सी. सड़क का निर्माण कराये जाने,
(25) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम ऐलछा के भुजरिया घाट पर पुल बनाये जाने,
(26) श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना, सदस्य, रीवा जिले के बीरादेई से परसिधा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
(27) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम नांदनेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने,
(28) श्री कुँवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम साबरस्या में संचालित शा.मा.वि. का शासकीय हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(29) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम भापेल को भोपाल मेन रोड से फुलेर तालाब तक सड़क निर्माण करने,
(30) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले की जनपद पंचायत शाजापुर में प्रोजेक्ट 2 सिंचाई तालाब निर्माण कराये जाने,
(31) श्री सोहनलाल वाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम खुकरिया के पास पुलिया निर्माण कार्य अतिशीघ्र स्वीकृति करने,
(32) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम भगुवापुरा, रामपुरा में नाले का निर्माण कराये जाने,
(33) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम सुकलियां के पास पार्वती नदी के देहरी घाट पर बेराज निर्माण कराये जाने,
(34) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत घसुण्डी जागीर के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (3) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 6 दिसम्बर, 2016